



छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर

“छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970

(अनुकूलन आदेश 2001) के अधीन गठित”

{ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन एक सांविधिक निकाय }
रजिस्ट्रार कार्यालय - शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर
492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165

वेबसाइट - www.cgaupcb.in, ई-मेल - registrar@cgaupcb.in

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर में पंजीयन हेतु अनिवार्य दस्तावेजों की सूची

* छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए अस्थायी पंजीयन हेतु आवेदन पत्र में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :-

1. बी. ए. एम. एस. अंतिम वर्ष की अंकसूची (छायाप्रति)
2. इन्टर्नशीप ज्वाइन करने का प्रमाण पत्र (छायाप्रति)
3. निर्धारित शुल्क

* स्थायी पंजीयन के लिए आवेदन पत्र में संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :-

1. 10th मार्कशीट (छायाप्रति)
2. 12th मार्कशीट (छायाप्रति)
3. बी. ए. एम. एस. वर्ष पाठ्यक्रम के सभी वर्षों की अंकसूची (छायाप्रति)
4. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री अस्थायी/स्थायी डिग्री) (छायाप्रति)
5. बोर्ड द्वारा जारी अस्थायी पंजीयन की मूल प्रति
6. आधार कार्ड/मोबाइल नंबर/ईमेल आई डी.
7. इन्टर्नशीप पूर्णता प्रमाण पत्र (छायाप्रति)
8. निर्धारित शुल्क

* अन्य राज्य के आवेदकों के लिए स्थायी पंजीयन हेतु आवेदन पत्र में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची :-

1. 10th मार्कशीट (छायाप्रति)
2. 12th मार्कशीट (छायाप्रति)
3. बी. ए. एम. एस. वर्ष पाठ्यक्रम के सभी वर्षों की अंकसूची (छायाप्रति)
4. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री अस्थायी/स्थायी डिग्री) (छायाप्रति)
5. बोर्ड द्वारा निर्धारित पंजीयन (अस्थायी/स्थायी)
6. आधार कार्ड/मोबाइल नंबर/ईमेल आई डी.
7. इन्टर्नशीप पूर्णता प्रमाण पत्र (छायाप्रति)
8. निर्धारित शुल्क

नोट :- निर्धारित शुल्क संबंध में जानकारी बोर्ड के वेबसाइट www.cgaupcb.in, में अवलोकन करें।

(डॉ. संजय शुक्ला)
रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा
पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर